**प्रेस विज्ञप्ति**
**23.07.2026**

## ईडी, इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने 70 करोड़ रुपये मूल्य के मेफेड्रोन (एमडी) मादक पदार्थ तस्करी एवं धन शोधन मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने लगभग 70 करोड़ रुपये मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए (मेफेड्रोन) मादक पदार्थ की कथित तस्करी से संबंधित जांच के क्रम में दिनांक 21.07.2026 को वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल तथा अक्षय अग्रवाल को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने यह जांच इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल एवं अन्य के विरुद्ध मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 एवं 22 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की। अनुसूचित अपराध लगभग 70 करोड़ रुपये मूल्य के व्यावसायिक मात्रा में मेफेड्रोन (एमडी) के अवैध कब्जे एवं तस्करी से संबंधित है।

पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच में यह उजागर हुआ कि आरोपियों ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के माध्यम से भारी मात्रा में अपराध से प्राप्त आय अर्जित की तथा उक्त धनराशि को विभिन्न व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक बैंक खातों के माध्यम से प्रवाहित किया। वित्तीय जांच में बड़ी मात्रा में नकद लेन-देन का पता चला, जो अपराध से प्राप्त आय के सुनियोजित निवेश (प्लेसमेंट), बहुस्तरीय लेन-देन (लेयरिंग) तथा उसे छिपाने की प्रक्रिया का संकेत देते हैं। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों से यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी अपने नियमित व्यावसायिक कार्यों के अतिरिक्त मादक पदार्थों की आपूर्ति एवं तस्करी में भी संलिप्त थे।

जांच के दौरान ईडी, इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 17.07.2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर एवं मंदसौर स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था। व्यापक खुफिया जानकारी एकत्र करने तथा सतत निगरानी के परिणामस्वरूप आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों की परिसंपत्तियों, वित्तीय लेन-देन तथा व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

**समाज के नाम संदेश – नशा मुक्त भारत की ओर**

• केवल मादक पदार्थों की बरामदगी से नशा मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता; इसके लिए अवैध मादक पदार्थ व्यापार को वित्तीय रूप से संचालित करने वाले नेटवर्क को भी ध्वस्त करना आवश्यक है।

• मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित प्रत्येक रुपया संगठित अपराध को सशक्त बनाता है, जबकि कुर्क एवं जब्त किया गया प्रत्येक रुपया अपराधी गिरोहों को कमजोर करता है।

• धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अपराध से प्राप्त आय की पहचान करने, उसका पता लगाने तथा उसे जब्त एवं अधिहृत कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

• युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है।

• आइए, हम सभी मिलकर नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को और सुदृढ़ करें, जहाँ अपराध लाभ का माध्यम न बने तथा हमारे युवा सुरक्षित, स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज में अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें।